राज्य - नीति के निर्देशक सिद्धांत
(Directive Principles of State Policy)

मौलिक अधिकारों का अध्ययन पर्याप्त नहीं होगा। यदि संविधान के चौथे भाग में वर्णित निर्देशक सिद्धांतो का अध्ययन न किया जाये। मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों को अलग-अलग स्थान दिया गया है। तथा मौलिक अधिकारो को न्यायालयों द्वारा न्याय - मान्य व निर्देशक तत्वो को न्यायालय द्वारा न्याय - अमान्य घोषित किया गया है।

~~संविधान का अर्थ तथा उसकी आवश्यकता~~
~~(Meaning and Necessity of the constitution)~~

सरल शब्दों में राज्य के संविधान की परिभाषा लिखित तथा अलिखित नियमों एवं विनियमों के निकाय के रूप में की जा सकती है, जिनके द्वारा सरकार का गठन होता है। और वह कार्य करती है। यह अलग बात है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संविधान मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों के घोषणापत्र के रूप में व्यक्तियों तथा उनके राज्य के बीच ~~समबन्ध~~ सम्बन्ध को स्पष्ट करने हेतु कुछ और सिद्धांतों को अंगीकार करें।

~~राजनीतिक सिद्धांत~~
राजनीतिक सिद्धान्त

राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता (Relevance of Political theory)

हमारे अध्ययन के किसी भी विषय को एक स्वायत्त अनुशासन (discipline) बनाने के लिए उसमें स्वयं को दिशा निर्देश तथा विकसित करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। एक स्वतन्त्र अनुशासन (विषय) के लिए यह आवश्यक है कि उसका अपना विषय क्षेत्र स्पष्ट एवं निश्चित हो। मान्यता हो, उसकी अध्ययन सम्बन्धी मान्यता हो। एवं विकसित पद्धतियां तथा

प्रविधियां हो। उसकी अपनी शैक्षिक शाखाएं एवं प्रशाखाएं हो, उसके पास नूतन क्षेत्रों में शोध एवं सर्वेक्षण करने का अभिनव कार्यक्षेत्र हो। उसके पास एक अनुभवात्मक (empirical) विकसित (developed) तथा रचनात्मक (constructive) सिद्धान्त हो।
किसी भी विषय को स्वतन्त्र अनुशासनात्मक स्तर दिए जाने के लिए 'सिद्धान्त एक पूर्व अपेक्षा (Prerequisite) या शर्त है।

आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त (Modern political Theory)

राजनीति विज्ञान को स्वतन्त्र अनुशासन बनाने की दिशा में पुरजोर संघर्षरत है। इसलिए उसका अध्ययन - विश्लेषण आवश्यक है।

डेविड ईस्टन के अनुसार सिद्धान्त का निर्माण

डेविड ईस्टन ने राजनीतिशास्त्र में सिद्धान्त की आवश्यकताओं की ओर राजनीतिशास्त्रियों को आकर्षित किया।
सिद्धान्त के कार्य भाग या भूमिका (role) और इसकी सम्भावना की सचेत जानकारी के बिना राजनीतिक अनुसन्धान खण्डित और विजातीय होगा।
(आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त) परम्परागत सिद्धान्त से भिन्न है। परम्परागत राजनीतिशास्त्र में राजनीतिक सिद्धान्त के अंतर्गत मूल्यों पर चिन्तन किया जाता रहा है।
परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्त दर्शन पर इतना अधिक आश्रित था कि अब कतिपय विद्वान इसे दर्शन का ही एक उपक्षेत्र मानते हैं।

राजनीतिक सिद्धान्त की दो मुख्य धाराएँ

1. आदर्शी सिद्धान्तों में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है
2. अनुभविक सिद्धान्तों में राजनीति व्यवहार के वास्तविक तथ्यों को समझकर सिद्धान्तों का निर्माण होता है